

मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट के बीच सुलह का रास्ता हुआ तैयार?

पेपर लीक करने वालों को राजस्थान में मिलेगी उम्र कैद की सजा

जयपुर, (का.प्र.)। पूर्व उभ मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पेपरलीक से प्रभावित युवाओं को मुआवजा देने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने और वसुंधरा सरकार के करणन की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने इन तीनों ही मांगों को नकार दिया था, लेकिन मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सरकार पेपर लीक के आरोपियों को उम्रकैद तक की अधिकतम सजा दिलाने के लिए विधानसभा के इसी सत्र में बिल लाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आरपीएससी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड की कामकाज की शैली और प्रोसेस को सुधारने की शुरुआत करने की घोषणा की है।

गहलोत की ओर से की गई इस घोषणा के बाद सचिन पायलट समर्थक इसे सचिन पायलट की जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की इस घोषणा में सचिन पायलट की ओर से उठाई गई तीनों मांगों के संबंध में कुछ भी शामिल नहीं है। इतना जरूर है कि

- मुख्यमंत्री गहलोत ने इसी सत्र में बिल लाने की बात कही, पायलट समर्थक इसे बता रहे हैं आंदोलन की जीत
- प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आरपीएससी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड के कामकाज की शैली और प्रोसेस को सुधारने की भी घोषणा

गहलोत की इस घोषणा के बाद आलाकमान को दोनों के बीच सुलह करने में आसानी होगी। अब ना सिर्फ दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के पास में सचिन पायलट को पद देने और पार्टी में एडजस्ट करने का रास्ता मिल गया है। वहीं अब सचिन पायलट भी लोगों के बीच जाकर कह सकेगे कि उनकी ओर से किए गए आंदोलन के कारण सरकार को अब मजबूर होकर यह कड़ा कानून लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यही कारण है कि सचिन पायलट समर्थक मुख्यमंत्री की इस घोषणा को अपनी जीत बताने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार की किरकिरी हो रही थी और इसी किरकिरी से बचने का प्रयास करते हुए मुख्यमंत्री

ने यह कड़ा कानून लाने के लिए घोषणा की है। गहलोत को इस घोषणा को भले ही पायलट की मांगों को मानने की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पायलट की ओर से आरपीएससी को भंग करके इसका पुनर्गठन करके आमूलचूल बदलाव करने की मांग पूरी नहीं हो रही है। अब तक पायलट की मांगों को गहलोत ने हिरे से खारिज किया है। इन मांगों को लेकर पायलट ने 11 से 15 मई तक अजमेर से जयपुर तक पैदल यात्रा करते हुए यह मांग की थी। 15 मई को जयपुर में यात्रा खत्म करके सभा में पायलट ने सरकार के सामने तीन मांगें रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन

खड़गे, राहुल गांधी की मौजूदगी में गहलोत-पायलट की सुलह बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद पायलट ने आंदोलन तो नहीं किया, लेकिन युवाओं से जुड़ी मांगों को छोड़ने से इनकार कर दिया था। सचिन पायलट की तीन मांगों को मानने से पहले गहलोत ने साफ इनकार कर दिया था। पेपरलीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देने की मांग को गहलोत ने बुद्धि का दिवालियापन बताया था। आरपीएससी को भंग करने की मांग पर गहलोत ने कहा था कि पायलट हमारे परिवार के मेंबर हैं, उन्होंने बात उठाई है तो हमने परीक्षण करवाया तो सामने आया कि कानून में इस तरह का प्रावधान ही नहीं है। वहीं राजे सरकार के करणन की जांच की मांग पर गहलोत ने कहा था कि कोई मामला हो तो जांच करवाने की तैयारी है। राजे के खिलाफ एक ही मामला है और वह ईडी से जुड़ा है, उसमें राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है, खान आनंदन से जुड़े मामलों का निस्तारण हो चुका है। सीएम के रुख में अब बदलाव आया है और आज के ट्वीट से यह तय संकेत माना जा रहा है कि पायलट की मांगों को मानने की शुरुआत हो गई है।

अन्य राज्यों के मूल निवासियों को क्यों नहीं दे रहे नियुक्ति?

जयपुरा प्रदेश में अन्य राज्यों के मूल निवासियों को रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति नहीं दिये जाने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव और न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग को जवाब तलब किया है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविन्द शर्मा पैरवी के लिये पेश हुए थे।

याचिकाकर्ता सुहेल हसन जो उत्तरप्रदेश के मूल निवासी हैं, की ओर से याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में किसी भी रेडियोग्राफर को कार्य करने के लिये पहले तो प्रदेश की पैरा मेडिकल कार्डसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है साथ ही उसके पास प्रदेश का ही मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उनके अनुसार यह असंवैधानिक है और उन्हें प्रदेश में रेडियोग्राफर के पद पर कार्य करने से वंचित रखत है।

छूटा नाम हटाने की मांग

जयपुर। श्री राजपूत सभा भवन में राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक में पुलिस थाना पीपल्स जिला टॉक में बजरी के ट्रैक्टर चालक की मृत्यु हो जाने पर एक एफआईआर में झूटे नाम हटाने की मांग गई गई। इस मामले में महानिदेशक पुलिस से मिलकर जापन दिया।

कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को हिंदी में आरोप पत्र की कॉपी देने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। एनआईए मामले की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को एनआईए की ओर से अंग्रेजी में पेश आरोप पत्र का हिंदी में रूपांतरण कर उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज और फोटो सहित अन्य चीजे उपलब्ध कराने के लिए पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 5 जुलाई को रखी है। इसी तरह अदालत ने प्रकरण में चार्ज बहस के लिए 26 जुलाई को सुनवाई तय की है।

सुनवाई के दौरान मंगलवार को जेल प्रशासन की ओर से आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। आरोपियों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि एनआईए ने प्रकरण में अंग्रेजी में आरोप पत्र दायर किया है। आरोपी प्राथी

हिंदी भाषी हैं, इसलिए उन्हें आरोप पत्र की कॉपी हिंदी भाषा में रूपांतरण कर दिलाई जाए। जिससे वह प्रकरण में अपना पक्ष उचित तरह रख सकें। वहीं एनआईए की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा ने कहा कि आरोपियों ने आरोप पत्र दायर करते समय आरोप पत्र की भाषा को लेकर विचार दर्ज नहीं किया था। अब उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष उन्हें हिंदी भाषा में आरोप पत्र उपलब्ध करा देगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष को कहा है कि वह आरोपियों को हिंदी भाषा में आरोप पत्र सुनवाई कराए। गौरतलब है कि एनआईए ने दिसंबर 2022 में पाकिस्तान के कराची निवासी सलमान व अबू इब्राहिम को फरार बताते हुए मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद व मोहम्मद रियाज अतारी

सहित आरोपियों मोहसीन, आसिफ, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, मोहम्मद जावेद व मुहम्मद मोहम्मद के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 449, 302, 307 व 324 (34), 153 ए, 153 बी 295 ए और यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18 व 20 के तहत आतंकी गतिविधियों के आरोप में चालान पेश किया था। वहीं एनआईए की विशेष कोर्ट ने 9 फरवरी, 2023 को आरोपियों के खिलाफ खिलाफ हत्या, आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र सहित यूएपीए एक्ट व आर्म्स एक्ट में प्रसंज्ञान लिया था। मालूम हो की कन्हैयालाल टेलर की उदयपुर में 28 जून 2022 को जघन्य हत्या कर आरोपियों ने इस हत्याकांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

विधि विश्व विद्यालय में कुलपति नियुक्ति को लेकर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर भर्ती विज्ञापन जारी करने में मांग में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, चांसलर जॉर्ज प्रमुख सचिव, सर्व कमेटी चेयरमैन और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुरेश बंसल की एकलपिठ ने यह आदेश प्रोफेसर केबी अग्रवाल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए अदालत ने कहा कि आगामी सुनवाई को कोर्ट याचिकाकर्ता की मामले में

याचिका पेश करने के अधिकार के बारे में भी सुनवाई करेगा। याचिका में अधिवक्ता सुनील समदंडिया ने अदालत को बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 11 में कुलपति की नियुक्ति और योग्यता आदि के बारे में प्रावधान किए गए हैं। वहीं धारा 11(17) में विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति को लेकर प्रावधान है। जिसमें कहा गया कि विधि के चांसलर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार से राय लेकर करेंगे।

आरोपियों के फोन सर्विलांस पर लेने के आदेश अवैध

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल में भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में दो फोन नंबर को सर्विलांस पर लेने के संबंध में गृह सचिव की ओर से दिए आदेश अवैध होने के चलते रद्द किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने एसीबी को निर्देश दिए हैं कि वह रिकॉर्ड किए गए सभी मैसेज व रिकॉर्डिंग को नष्ट करे। वहीं अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसे मैसेज को प्रकरण में लंबित आपराधिक कार्रवाई में अमल में नहीं लाया जाए। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की एकलपिठ ने यह आदेश शशिकांत जोशी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने याचिकाकर्ता को झूट दी है कि वह याचिका में चाही गई अन्य रिलीफ के लिए उपलब्ध विधिक उपचार ले सकता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के मनमानीपूर्ण आदेश मूलभूत अधिकार का हनन करने वाले हैं। जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि गृह सचिव ने अक्टूबर, 2020 से मार्च 2021 तक तीन अलग-अलग आदेश जारी कर एसीबी को याचिकाकर्ता के दो मोबाइल नंबर और रद्द आरोपी सुनील शर्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेने की अनुमति दी थी।

‘मंत्री जाहिदा खान ने ट्रांसफर के नाम पर तीन लाख रुपए लिए, वापस दिलवा दीजिए मुख्यमंत्री जी’

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किसी ने लगाए हस्तलिखित पोस्टर

जयपुर, (का.प्र.)। यहां स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को संबोधित करते हुए हाथ से लिखे हुए पोस्टर लगाते हुए किसी ने मंत्री जाहिदा खान पर ट्रांसफर के नाम पर 3 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया और निवेदन किया कि यह पैसे उसे वापस दिलाए जाएं। हालांकि पोस्टर लगाने वाले ने अपने नाम की जगह निवेदक में एक गरीब किसान का बेटा लिखा है।

तबादलों के नाम पर भ्रष्टाचार करने और लाखों रुपए लेने के आरोप लगाते हुए ये पोस्टर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे विभिन्न होर्डिंग्स पर लगा दिए गए। यह पोस्टर किसने लगाए, इस बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है कि ये किया किसने। यह पोस्टर मुख्यालय खुलने से पहले ही या देर रात लगाए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है। पोस्टर सामने आते ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के कर्मचारी ने तुरंत कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसकी सूचना दी और यह पोस्टर हटा दिए गए। इसके

पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी खंगाल रही है

बाद इस बारे में प्रदेश कांग्रेस की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दिनभर काफ़ी चहल-पहल रहती है, क्योंकि सामने पुलिस लाइन है और एक तरफ संसार चंद्र रोड है। ऐसे में यहां से दिनभर ट्रैफिक भी गुजरता रहता है। यही कारण है कि पोस्टर लगाने

वाले ने रात का समय चुना। अब पुलिस दुकानों और पीसीसी के बराबर में एक मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज देख रही है ताकि ऐसा करने वाले का पता लगाया जा सके। हाथ से लिखे अलग-अलग पोस्टर्स में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से अपील करते हुए लिखा गया है कि मंत्री जाहिदा खान से मेरे 3 लाख रुपए दिला दो। दूसरे पोस्टर में लिखा है कि प्रभारी रंधावा मंत्री जाहिदा खान से हमारे पैसे दिलावा दो। तीसरे पोस्टर में लिखा है कि

राजस्थान सरकार की सबसे भ्रष्ट मंत्री जाहिदा खान विधायक कामा हैं। निवेदक दुखी शिक्षका। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मंत्री नेताओं के खिलाफ पहले भी पोस्टर लगाते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण के समय असंतुष्ट नेताओं ने भी कांग्रेस मुख्यालय में पोस्टर लगाए थे। पोस्टर्स पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगाए गए थे। कुछ दिन पहले जलदाय मंत्री महेश जोशी की खिलाफ एक युवक ने पीसीसी मुख्यालय में धरना दिया था। उसने महेश जोशी पर भी पैसे को लेकर आरोप लगाए थे।

जयपुर में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश

मानसरोवर पुलिस ने सवाई माधोपुर निवासी युवक सोहेल खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजधानी जयपुर में अपहृत एक नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। घर वापस लौटने पर नाबालिग पागलों जैसी हरकत करने लगी और खुद को वह मुस्लिम बताते लगीं। मानसरोवर थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं दूसरी ओर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीसीपी दक्षिण से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने बताया कि मानसरोवर निवासी एक व्यक्ति ने 1 जुलाई को

- घर लौटने पर पागलों जैसी हरकत करने लगी बच्ची, खुद को हिन्दू के बजाय मुस्लिम बताते लगी
- राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है

रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 15 साल की बेटी को किडनैप कर धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जा रही है। शिकायत में बताया कि नाबालिग बेटी सवाई माधोपुर अपने मौसी के गई थी। वहां परिवार में शादी का कार्यक्रम था। इस दौरान बेटी की मुलाकात चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर निवासी सोहेल खान (22)

से हुई। सवाई माधोपुर में रहने के दौरान 4-5 बार उसकी सोहेल से मुलाकात भी हुई। सप्ताहभर रहने के बाद 18 जून को मौसी की बेटी भी उसकी बेटी के साथ जयपुर आ गई। दो दिन बाद सहेली के बर्थ-डे में जाने की कहकर दोनों बहनों घर से चली गईं। उसके बाद बच्ची वापस घर नहीं लौटी। बाद में पता चला कि सोहेल खान बहला-

फुसलाकर उसे भगा ले गया है। गत 24 जून को उनकी बेटी घर वापस लौट कर आ गई, लेकिन वह पागलों जैसी हरकत करने लगीं। खुद का नाम इस्माय्या खान बताते लगीं। वह हिंदू होने की बात से इनकार कर खुद को मुस्लिम बता रही है। आरोप है कि सोहेल खान धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहा है। उधर मानसरोवर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज कर पीड़िता के बयान दर्ज कर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया। पुलिस ने सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में दबिश देकर सोहेल को अरेस्ट किया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर

इस मामले में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी मानसरोवर क्षेत्र की नाबालिग बच्ची का धर्म परिवर्तन करवाने के मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रसंज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने पुलिस उपायुक्त जयपुर और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बेनीवाल ने कहा कि नाबालिग बच्ची का अपहरण करने और उसके बाद धर्म परिवर्तन करवाने जैसी घटना से परिजनों में दहशत का माहौल है। प्रकरण में मानसरोवर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है। आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट आपन होने के बाद आगामी कार्रवाई की जायेगी।

भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए मंदिरों में उमड़े हजारों श्रद्धालु

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की आराधना का प्रिय माह सावन मंगलवार को त्रिपुष्कर योग के साथ शुरू हो गया है। छोटीकाशी के शिवालय ‘हर-हर-महादेव’ के जयकारों से गुंजायमान हो उठे हैं। बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक एवं दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें सुबह से ही लग गईं। श्रद्धालुओं ने ‘ओम नमः शिवाय’ मंत्र के साथ जल और दूध से भगवान आशुतोष का अभिषेक कर बिल्ब पत्र अर्पित किए। शाम को शिव मंदिरों में आकर्षक झांकी सजाई गई। शिवालयों में भोले बाबा का अलग-अलग तरह से श्रृंगार किया गया। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर, वैशालीनगर के झारखंड महादेव, बर्नापेक के जंगलेश्वर महादेव, झोटवाड़ा रोड के चमत्कारेश्वर महादेव, छोटी चौड़ के रोजगारेश्वर, रामगंज के आँडा महादेव, कूकस के द्वादश



सावन माह शुरू होने के बाद मंगलवार को वैशाली नगर स्थित झारखंड महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगीं। ज्योतिर्लिंगेश्वर सहित अन्य शिव मंदिरों में शिव भक्तों ने दिनभर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।

‘शीर्ष तीन स्कूलों को 4 लाख रु. का अनुदान व सम्मान’

जयपुर, (का.सं.)। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कार्सिल (आईजीबीसी) भारत भर के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अपनी वार्षिक प्रतियोगिता ग्रीन योर स्कूल प्रोग्राम का आयोजन कर रही है, जिसमें वे अपने मौजूदा स्कूल भवन को हरित भवन में बदलने के लिए विचार पेश कर रहे हैं। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कार्सिल-जयपुर के अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने साझा किया कि इस पहल के माध्यम से स्कूलों को विचार-मंथन करने और टिकाऊ विचारों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो मौजूदा स्कूल को पर्यावरण-अनुकूल ग्रीन स्कूल के रूप में सुधार और परिवर्तित कर सके और जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मददगार हो। प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक और तीन छात्र मिलकर स्कूल में कार्यान्वयन के लिए विचार विकसित करते हैं। स्कूल छात्रों को 7 सस्टेनेबिलिटी आ डिजाय और 3 स्वास्थ्य और स्वच्छता के विचार देने होंगे जिन्हें उनके स्कूलों में लागू किया जा सकता है।

मुरलीपुरा में गूंजी हनुमान चालीसा की चौपाइयां

जयपुर। सनातन धर्मावलंबियों को एकजुट करने का माध्यम बने हनुमान चालीसा के साप्ताहिक पाठ के आयोजनों की श्रृंखला में मंगलवार शाम को मुरलीपुरा के विकासनगर स्थित गौरव बाल विद्या मंदिर के पास साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने राम दरबार के समक्ष हनुमान चालीसा की चौपाइयां पढ़ी तो वातावरण में जोश और उमंग की हिलोार पैदा हो गई। प्रारंभ में राम दरबार का भक्तिभाव से पूजन किया गया। इसके बाद राम नाम का कीर्तन किया गया। इस बीच जय श्री राम के जयकारे लगते रहे। राम नाम कीर्तन के साथ भक्तों की प्रस्तुतियां भी हुईं। इसके बाद संतों-महंतों के सान्निध्य में हनुमान चालीसा पाठ का श्री गणेश हुआ। पाठ के बाद

पंच सं दीपकों से महाआरती की गई। प्रदेश में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं -कार्यालय संवाददाता- जयपुर। प्रदेश में मंगलवार को भी किसी जिले में कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। वहीं आज एक संक्रमित के रिकवरी होने से राज्य में अब न कोई नया संक्रमित है और न ही कोई एक्टिव केस बा है। इसके साथ ही राजस्थान चक्राना मुक्त हो चुका है। उधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में किसी भी मरीज को मौत नहीं हुई है।

प्रदेश से बाहर अंग प्रत्यारोपण पर मिलेगा पुनर्भरण

जयपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में गाइडलाइन को स्वीकृति दी है। गाइडलाइन के अनुसार, प्रदेश के बाहर अंग प्रत्यारोपण-कॉन्कलियर इम्प्लांट के लिए पुनर्भरण होगा। अंग प्रत्यारोपण की अनुशंसा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्तर पर ट्रांसप्लांट इन्वेल्यूएशन कमेटी करेगी। अनुशंसा जारी किए जाने के बाद अंग प्रत्यारोपण के फैकेज का लाभ मरीज को प्रदेश के बाहर मिल सकेगा। इसमें मरीज व एक सहायक चक्राना मुक्त हो चुका है। उधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में किसी भी मरीज को मौत नहीं हुई है।